पत्रांक– मा0शि0–स्था'ख'–171 / 2016.../793

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

संजय कुमार
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–...04/04/21

विषयः– **कोविड–19 संक्रमण के कारण बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों को दिनांक–11.04.2021 तक बंद रखने के संबंध में।**

प्रसंग :– गृह विभाग के संयुक्तादेश ज्ञापांक–जी / आपदा–06–02 / 2020 (वि0स0को0) 34 दिनांक–03.04.2021

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आदेश के आलोक में अंकित करना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–03.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में गृह (विशेष) विभाग के द्वारा निर्गत संयुक्तादेश ज्ञापांक–34 दिनांक–03.04.2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों / कोचिंग संस्थानों को बिहार में बढते हुए कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर दिनांक–11.04.2021 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त संस्थानों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मी पूर्व की भांति कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे।

3. विद्यालय / कॉलेज प्रबंधन पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निम्न शर्त्तो पर आयोजित कर सकेंगे :–

(i) सभी शैक्षणिक संस्थान परीक्षा संचालन करने के पूर्व एवं पश्चात संस्थान को सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) संस्थान में सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना आवश्यक होगा।

(iii) सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग एवं हैन्ड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(iv) परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थी, वीक्षकगण एवं केन्द्र पर उपस्थित सभी कर्मी मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे।

(v) कोविड–19 के संक्रमण से उत्पन्न होनेवाले लक्षण किसी शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मी / परीक्षार्थी में दृष्टिगत हो तो तत्काल चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

4/4/2021

(संजय कुमार)
अपर मुख्य सचिव